रजिस्ट्री सं. डी (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 1990/वैशाख 31, 1912
No. 113] NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 1990/VAISAKHA 31, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 1990

सार्वजनिक सूचना संख्या 1—पी. आर.-एन. पी./90

का. सं. 601/4/90—एन. पी. 1:—अप्रैल, 1990, मार्च, 1993 के लिए आयात और निर्यात नीति के परिशिष्ट-5, भाग-ख के पैरा 6 के अनुसार भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय एतद्द्वारा अनुलग्नक में दिए अनुसार लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल, 1990—मार्च, 1991 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति अधिसूचित करती है।

आई. ए. खान, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

अखबारी कागज आबंटन नीति, 1990-91

1. लागू होना

यह नीति, ऐसे संशोधनों जो समय-समय पर अधिसूचित किए जा सकते हैं, के अधीन रहते हुए, लाइसेंसिंग वर्ष 1990-91 के दौरान अखबारी कागज के आबंटन पर लागू है जिस पर आयात और निर्यात (नियंत्रण), अधिनियम, 1947, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 (समय-समय पर यथा संशोधित) लागू है।

2. परिभाषा

2.1 इस नीति में समय-समय पर यथा संशोधित प्रैस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में यथा परिभाषित "समाचारपत्र" का अर्थ ऐसी कोई भी मुद्रित नियतकालिक कृति होगा जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां छपती हैं।

2.2 इस नीति में प्रयुक्त शब्द "अखबारी कागज" में ऐसे पेपर भी शामिल हैं जो इस नीति के अन्तर्गत भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा आबंटित किए जाएंगे।

3. पात्रता

3.1 औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करने पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अखबारी कागज का आबंटन उन समाचारपत्रों को किया जाएगा जो समय-समय पर यथा संशोधित प्रैस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 संगत उपबन्धों के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत हैं। नया पंजीकृत समाचारपत्र अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से पात्र होगा।

3.2 कोई समाचारपत्र अखबारी कागज के आबंटन के लिए तभी पात्र होगा जब दैनिक समाचारपत्र के मामले में उसकी नियमितता 90 प्रतिशत और अन्य आवधिकता के मामले में 66-2/3 प्रतिशत होगी सिवाय उन मामलों के जिनमें नियमितता की गिरावट प्रकाशक के नियंत्रण से बाहर के कारणों से अर्थात् हड़ताल, तालाबंदी, काम धीरे करना, बिजली की कमी या इसी प्रकार के कारणों से आई हो।

3.3 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अखबारी कागज का आबंटन निम्नलिखित के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता है :—

(1) समाचार एजेंसियों द्वारा टेलीप्रिंटरों पर समाचार का प्रेषण

(2) समाचारपत्रों द्वारा मुद्रण परीक्षण, और

(3) कालेजों और स्कूलों की पत्रिकाओं का मुद्रण।

3.4 प्रकाशनों को निम्नलिखित श्रेणियां, चाहे व भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में समाचारपत्रों के रूप में पंजीकृत हों, इस नीति के अन्तर्गत अखबारी कागज के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगी :—

(1) मुख्यतः वस्तुओं अथवा सेवाओं से बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित पत्रिकाएं;

(2) उपक्रमों/फर्मों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली घरेलू पत्रिकाएं/मैगजीन,

(3) मूल्य सूचियां, सूचीपत्र निर्देशिकाएं तथा लाटरी समाचार,

(4) दौड़ गाइडें, और

(5) सेक्स मैगजीन।

4. हकदारी

4.1 किसी समाचारपत्र/आवधिक पत्रिका की लाइसेंसिंग वर्ष 1990-91 के लिए अखबारी कागज की मूल हकदारी का निर्धारण उसके पिछले वर्ष के दौरान अखबारी कागज की खपत, औसत वार्षिक प्रसार संख्या, औसत पृष्ठ संख्या, औसत प्रकाशन दिवसों की संख्या तथा प्रकाशित औसत पृष्ठक्षेत्र के आधार पर किया जाएगा। लाइसेंसिंग वर्ष की हकदारी सप्ताह में सातों दिन प्रकाशित किए जाने वाले समाचार-पत्र के मामले में 365 दिन तथा सप्ताह में 6 दिन निकाले जाने वाले समाचार-पत्र के मामले में 312 दिन के हिसाब से लगाई जाएगी। वर्ष 1989-90 के दौरान राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर आदि पर की गई खपत हिसाब में तभी ली जाएगी जब कि वह भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा आबंटित अखबारी कागज की मात्रा से अधिक हो।

4.2 समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र के सभी संस्करणों को जिनका वही नाम हो वही आवधिकता हो, उसी भाषा में प्रकाशित होते हों और उनका स्वामी वही हो अथवा उसी जगह से या भिन्न-भिन्न जगहों से प्रकाशित हो, एक साथ मिला दिया जाएगा और उनकी श्रेणी तथा अखबारी कागज की हकदारी का हिसाब सभी संस्करणों को एक साथ मिलाकर निष्पादन विवरण के आधार पर लगाया जाएगा।

4.3 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा जिस समाचारपत्र/आवधिक पत्र की प्रसार संख्या का दावा सिद्ध घोषित कर दिया गया है, वह अखबारी कागज के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसकी प्रसार संख्या उसी वर्ष में या अनुवर्ती वर्ष के लिए पुनः सिद्ध न हो जाए, चाहे समाचारपत्र के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन ही क्यों न हुआ हो। उन समाचारपत्रों/आवधिक पत्रों के मामले में जिनकी प्रसार संख्या भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक ने पहले दावा की गई प्रसार संख्या से कम निर्धारित किया है उनकी हकदारी भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रसार संख्या के आधार पर निकाली जाएगी। ऐसे समाचारपत्र आवधिक पत्र आंकी गई प्रसार संख्या के आधार पर अखबारी कागज पाते रहेंगे और लाइसेंसिंग अथवा बाद के वर्षों के दौरान परिशोधन के हकदार नहीं होंगे जब तक कि प्रसार का दावा पूरी तरह स्वीकार न कर लिया जाए। उस समाचारपत्र/आवधिक पत्र के मामले में जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने अपने निष्पादन अथवा प्रसार संख्या का असत्य विवरण दिया है उसे विशिष्ट अवधि, जो एक वर्ष तक हो सकती है, के लिए नीचे दर्शाए गए तरीके से अखबारी कागज के आबंटन से वंचित किया जा सकेगा :—

अत्युक्ति	के लिए वंचित
(1) 10 प्रतिशत तक	छूट
(2) 10 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत तक	तीन महीने
(3) 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक	छः महीने
(4) 50 प्रतिशत से अधिक एवं 75 प्रतिशत तक	नौ महीने
(5) 75 प्रतिशत से अधिक	एक वर्ष

4.4. (क) नीति के पैरा 3.1 में निहित प्रावधानों के बावजूद जो नया आवेदक प्रथम बार प्रकाशन शुरू करता है या अन्यथा प्रथम बार भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक को अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन करता है उसको चार महीनों के लिए अखबारी कागज के उतने प्रारम्भिक कोटे की अनुमति दी जाएगी जितनी आवेदक द्वारा बताई गई प्रसार संख्या से संबंधित होने पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा निर्धारित किया जाए। किन्तु वह दैनिक समाचारपत्रों के मामले में आठ मानक पृष्ठों (2450 वर्ग सें.मी.) के प्रति अंक की 10,000 (दस हजार) प्रतियों और आवधिक पत्रों के मामले में 16 मानक पृष्ठों से अधिक नहीं होगा। अखबारी कागज का प्रारम्भिक कोटा प्राप्त करने वाले समाचारपत्र द्वारा अखबारी कागज जारी करने के तीन महीने के बाद एक पखवाड़े के अन्दर आवंटित अखबारी कागज के उचित प्रयोग का प्रमाण फार्म एन. पी. 11 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि पहले पंजीकृत नहीं किया गया हो तो इसी बीच समय-समय पर संशोधित प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के अधीन पंजीकृत कर लिया जाए। उसके बाद प्रथम छः महीने के लिए उसकी हकदारी का निर्धारण वास्तविक निष्पादन के आधार पर किया जाएगा तथा बाकी कोटा यदि कोई हो, औपचारिक आवेदन-पत्र देने पर रिलीज किया जाएगा।

4.4. (ख) ऐसा समाचारपत्र जो गत वर्ष अखबारी कागज के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा हो उसे नया आवेदक समझा जाएगा जब तक वह असफलता प्रकाशक के नियंत्रण से परे के कारणों से न हो। तथापि, अखबारी कागज आबंटन के लिए ये प्रावधान ऐसे समाचारपत्रों पर लागू नहीं होंगे जिनका आबंटन मिलाकर एक कर दिया है।

4.4 (ग) अखबारी कागज के आबंटन के लिए ऐसा समाचारपत्र नया आवेदक समझा जाएगा जिसने अपने समाचारपत्रों की आवधिकता में परिवर्तन किया हो।

4.4. (घ) नया आवेदक अपने आवेदन-पत्र को भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से अखबारी कागज प्राप्त करने का हकदार होगा।

4.5. समाचारपत्र की प्रसार संख्या का निर्धारण (क) बिक्री प्रतियों की संख्या और (ख) निःशुल्क वितरित प्रतियों की संख्या, जिन्हें लौटाई गई या मुद्रित किन्तु न तो बिक्री और न ही निःशुल्क वितरित की गई प्रतियों की संख्या को हिसाब में लेकर निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जाएगा :—

प्रसार संख्या (प्रति प्रकाशन दिवस बिक्री हुई प्रतियां)	—	जो भी कम है
25,000 प्रतियों तक		5 प्रतिशत या 1,000 प्रतियां

25,000 से अधिक और 75,000 प्रतियों 5 प्रतिशत या 2,500 प्रतियों तक।

75,000 प्रतियों से अधिक 5 प्रतिशत या 5,000 प्रतियों

4.6 मूल हकदारी निकालने में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक, जैसा वे प्रत्येक मामले में उचित समझें, सामान्य औसत खपत पर विश्वास करके निम्नलिखित की उपेक्षा कर सकते हैं :—

(1) प्रसार संख्या में असाधारण अल्पकालिक गिरावट, जो विशेष परिस्थितियों, जिनमें हड़ताल/तालाबन्दी या इसी प्रकार के अन्य कारण शामिल हैं, से हुई हों, और

(2) प्रतियोगी समाचारपत्रों के बन्द होने/उनके कार्य में व्यवधान हो जाने या किन्हीं अन्य असाधारण परिस्थितियों से प्रसार संख्या में असाधारण वृद्धि।

4.7 यदि किसी समाचार-पत्र ने किसी भी पिछले वर्ष के दौरान अपने को आवंटित अखबारी कागज की किसी मात्रा का उपयोग नहीं किया है, तो अप्रयुक्त मात्रा को उसकी 1990-91 की हकदारी में से काट लिया जाएगा।

4.8 समाचारपत्रों को छीजन की क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित सीमा तक अतिरिक्त अखबारी कागज दिया जाएगा :—

सभी समाचारपत्रों के लिए	7 प्रतिशत
बहुरंगी मुद्रण वाली पत्रिकाएं	1 प्रतिशत अतिरिक्त
सिली हुई पत्रिकाएं (काट-छांट के लिए)।	3 प्रतिशत अतिरिक्त

4.9 छीजन की क्षतिपूर्ति को मिलाकर आयातित अखबारी कागज और स्वदेशी कागज के लिए समाचारपत्रों की मूल वार्षिक हकदारी 1990-91 के लिए 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निकाली जाएगी। अखबारी कागज ग्रामों के अनुरूप अनुपातिक समायोजन के बाद ही सही रूप से जारी किया जाएगा।

5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

5.1 अखबारी कागज के आवंटन के लिए आवेदन नियमित समाचारपत्र के प्रकाशक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फार्म एन. पी.-I और एन.पी.-II में दिए जाने चाहिएं और वे भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक, पश्चिमी खण्ड-8, स्कीम-2, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली को सम्बोधित किए जाने चाहिएं।

5.2 किसी नियमित समाचारपत्र द्वारा जितने 1989-90 में मूल हकदारी प्राप्त की हो, अखबारी कागज के आवंटन के लिए आवेदन फार्म एन-पी.-I में किया जाए जिसके साथ (क) फार्म एन. पी.-II में 1-4-89 से 31-3-90 तक पिछले वर्ष का निष्पादन विवरण प्रमाचार-पत्र, (ख) कैलेण्डर वर्ष 1989 में वार्षिक विवरण की एक प्रति जो सब तरह से पूर्ण हो तथा (ग) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अपेक्षित समाचारपत्र के अंकों की नमूना प्रति भेजी जाए। जिस समाचार-पत्र की औसत प्रसार संख्या प्रति प्रकाशन दिवस 2,000 प्रतियों से अधिक है, उसका निष्पादन विवरण प्रमाणपत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए।

5.3 प्रारम्भिक कोटे के लिए आवेदन-पत्र समाचार-पत्रों द्वारा पैरा 4.4 (क) द्वारा फार्म एन. पी.-III में दिया जाना चाहिए।

6. अन्तिम तारीख

6.1 भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में वर्ष 1990-91 के लिए अखबारी कागज के आवंटन के लिए आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 30 जून, 1990 है।

6.2 इसके बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं। तथापि, आवेदक द्वारा वैध कारण दिए जाने पर और देरी आवेदक के कारण न होने पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक गुणावगुण के आधार पर आवेदन पर विचार कर सकते हैं। ऐसे मामलों में अखबारी कागज भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दिया जाएगा।

7. अखबारी कागज का आबंटन

7.1 अखबारी कागज का आबंटन साधारणतया रीलों में किया जाएगा। तथापि, शीट फैड मशीन पर मुद्रित होने वाले समाचारपत्र अपनी हकदारी शीटों में प्राप्त करेंगे, बशर्ते कि शीटें उपलब्ध हों।

7.2 200 मीट्रिक टन या उससे कम की मूल वार्षिक हकदारी वाले समाचारपत्रों को स्वदेशी या आधातित स्टैण्डर्ड अखबारी कागज को पूरा या आंशिक रूप में उठाने का विकल्प होगा।

7.3 जिस समाचार-पत्र की हकदारी 200 मीट्रिक टन से अधिक है उसके लिए अखबारी कागज का आबंटन निम्नानुसार होगा:—

आयातित	35 प्रतिशत
मसूरपपर मिल्स लि.	19 प्रतिशत
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट मिल्स लि. (केरल)	19 प्रतिशत
नेपा लि.	17 प्रतिशत
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि.	10 प्रतिशत

उपरोक्त प्रतिशतता सांकेतिक है। आयातित, स्टैंडर्ड तथा ग्लेज्ड दोनों अखबारी कागज तभी दिया जाएगा बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो।

7.4 आयातित अखबारी कागज का 25 प्रतिशत राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाक से उठाया जाना चाहिए। जिन समाचारपत्रों/आवधिकों की वार्षिक हकदारी 50 मीट्रिक टन या उससे कम है उनको पूरी मात्रा या आंशिक मात्रा बफर स्टाक से उठाने का विकल्प होगा।

7.5 केवल उन नियमित आवधिक पत्रों को जिन्हें बहुरंगी मुद्रण की आवश्यकता हो, ग्लेज्ड अखबारी कागज और/या सुपर कैलेंडर क्रीम वोव पेपर आबंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। नए आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

7.6 उस नये आवेदक को जो पहली बार प्रकाशन आरम्भ कर रहा है, अथवा भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास पहली बार अखबारी कागज के लिए आवेदन करता है, उसकी इस नीति के पैरा 4.4 (क) में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अखबारी कागज का प्रारम्भिक कोटा पहले छः मास के लिए दिया जाएगा। इस प्रारम्भिक कोटे में अधिकतम 5 मीट्रिक टन आयातित अखबारी कागज होगा और शेष स्वदेशी अखबारी कागज से दिया जाएगा। आगे की हकदारी तभी दी जाएगी जब इस बात का प्रमाण दे दिया जाएगा कि आयातित और स्वदेशी अखबारी कागज का जारी किया गया कोटा संबंधित समाचारपत्र द्वारा वास्तव में उठा लिया गया है तथा उसकी खपत हो गई है।

7.7 ऐसे कारणों से यथा अखबारी कागज की उपलब्धता, बफर स्टाक के अनुरक्षण या अन्य किसी कारण से विभिन्न स्रोतों से आबंटन में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है।

7.8 यदि राज्य व्यापार निगम को "लेटर्स ऑफ क्रेडिट" के प्राप्त होने के 120 दिन के भीतर हाई सी सेल आधार पर आबंटित मात्रा का पोत लदान कार्यान्वित नहीं हो जाता है तो अनुपातिक मात्रा को हाई सी सेल के आधार पर बफर स्टाक से आबंटित करने का प्रयत्न किया जाएगा जिसकी बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8. वितरण

8.1 आयातित अखबारी कागज का वितरण संबंधी कार्य पूर्णतया राज्य व्यापार निगम द्वारा उस प्रकार से किया जाएगा, जिस प्रकार इस नीति के अनुसार तथा अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 के उपबन्धों के अनुपालन में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा ।

8.2 जिस समाचारपत्र को हाई सी सेल के आधार पर न्यूजप्रिंट आवंटित किया जाता है उसे सीधे या अपने विधिवत् प्राधिकृत एजेंट/एजेंटों की मार्फत डिलीवरी लेने की अनुमति होगी ।

8.3 औपचारिक आवेदन के साथ पिछले प्राधिकार पत्र के अनुसार आवंटित अखबारी कागज को उठाए जाने के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक अखबारी कागज देने का प्राधिकार पत्र तिमाही आधार पर जारी करेंगे । स्वदेशी अखबारी कागज की हकदारी के लिए प्राधिकार पत्र सीधे संबंधित मिलों को जारी किए जाएंगे । यदि किसी समाचारपत्र की वार्षिक हकदारी 50 मीट्रिक टन या इससे कम है तो भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक अपने विवेक से इस प्रकार के समाचार-पत्रों को वार्षिक आधार पर या जैसा भी अन्यथा उपयुक्त समझा जाए, अखबारी कागज का आवंटन कर सकते हैं । नये आवेदकों के अतिरिक्त, 200 मीट्रिक टन तक की हकदारी वाले अन्य समाचारपत्रों के मामले में यह आवंटन छमाही आधार पर होगा ।

8.4 समाचारपत्र को अपना आवंटन हाई सी सेल अथवा वफर स्टाक अथवा स्वदेशी मिलों से प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 3 माह के भीतर उठाना होगा । जहां कहीं भी लागू हो समाचारपत्रों के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले स्वदेशी माल्रा उठाएं । अनुवर्ती तिमाहियों के लिए आवंटन पिछली तिमाही (यों) के दौरान उठाए गए अखबारी कागज के आधार पर किया जाएगा और निर्धारित स्वदेशी अख-बारी कागज मिलों में से नहीं उठाई गई माल्रा के अनुपात में आयातित अखबारी कागज रोक लिया जाएगा । लाइसेंसिंग वर्ष के अन्त में स्वदेशी कागज को न उठाने के कारण आयातित अखबारी कागज को जितनी भी माल्रा रोकी गई हो, वह स्वदेशी कागज की न उठाई गई माल्रा सहित मिलने से वंचित हो जाएगी ।

8.5 प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार करते हुए भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राधिकार के पुनर्संशोधन की अनुमति लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान दी जाएगी ।

8.6 यदि यह पाया जाए कि किसी समाचारपत्र ने उस स्वदेशी अखबारी कागज जो उसे आवंटित है, के उठाने के बारे में झूठा प्रमाण-पत्र दिया है तो उसे निर्दिष्ट अवधि, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए अखबारी कागज के आवंटन से वंचित किया जा सकता है ।

9. अखबारी कागज का अप्राधिकृत प्रयोग

यद्यपि संबंधित समाचारपत्र का स्वामित्व वही हो या उनको अपनी अपनी हकदारी इकट्ठे लेने की अनुमति दी गई हो तो भी कोई समाचार-पत्र अखबारी कागज न तो हस्तांतरित कर सकता है और न ही दूसरे समाचारपत्र से प्राप्त कर सकता है । तथापि, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक अपने विवेक से अखबारी कागज को अधिक से अधिक तीन महीने की अवधि के लिए एक समाचारपत्र से दूसरे समाचारपत्रों को उधार के तौर पर हस्तांतरित करने की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते कि हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को ऐसे मामले की सूचना 30 दिन के अन्दर भेज दें । कोई भी समाचार पत्र जो ऐसे अप्राधिकृत कार्य में लगा हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जिसके अन्तर्गत उसकी हकदारी के बराबर की मात्रा में से पूरी या आंशिक कटौती की जा सकती है ।

10. खपत के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना

10.1 जिस समाचारपत्र को अखबारी कागज का आवंटन किया जाता है वह भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को फार्म एन.पी.-II में वर्ष 1990-91 का निष्पादन ब्यौरा प्रमाण-पत्र 30 जून, 1991 तक प्रस्तुत करेगा । यदि प्रसार संख्या 2,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक हो तो वह चार्टर्ड एकाउंटेंट से विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए।

10.2 जिस समाचारपत्र का प्रकाशन निलम्बित या बन्द हो जाता है वह प्रकाशन निलम्बन/बन्द होने से एक महीने के भीतर फार्म एन. पी.-II में निष्पादन ब्यौरा प्रमाण-पत्र भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को प्रस्तुत करेगा । वह अप्रयुक्त अखबारी कागज भी भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के निर्देशों के अनुसार वापस करेगा ।

11. वृद्धि दर और संशोधन

11.1 लाइसेंसिंग वर्ष के लिए अखबारी कागज की समस्त मांग का निर्धारण करते समय नए आवेदकों की आवश्यकताओं और लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान प्रसार संख्या की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 7 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया जाएगा ।

11.2 जिस समाचारपत्र को वर्ष 1990-91 के लिए मूल हकदारी प्राप्त हो गई हो वह इसके प्रसार और पृष्ठों में बढ़ोतरी के आधार पर अधिक आवंटन के पुनर्विचार के लिए वर्ष में एक बार आवेदन कर सकते है बशर्ते कि ऐसे आवेदन के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित निष्पादन प्रमाण फार्म एन.पी.-II में भेजा गया हो (जहां प्रसार 2,000 प्रतियों से अधिक हो) और जो 30 नवम्बर, 1990 को 8 महीने से कम अवधि का न हो । ऐसे आवेदन-पत्र भिन्न-भिन्न तारीखों के अंकों की नमूना प्रतियों सहित भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 31 दिसम्बर, 1990 तक पहुंच जाने चाहिए ।

11.3 लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान हकदारी के संशोधन के कारण उत्पन्न हुई स्टैंडर्ड अखबारी कागज की अतिरिक्त आवश्यकता निर्धारित स्वदेशी अखबारी कागज मिलों से पूरी की जाएगी । जहां तक ग्लेज्ड अखबारी कागज का प्रश्न है ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता भी संबंधित आवधिकों की अपेक्षानुसार स्वदेशी मिलों द्वारा उत्पादित किसी भी किस्म के कागज द्वारा अथवा उपलब्ध होने पर आयातित ग्लेज्ड अखबारी कागज द्वारा पूरी की जाएगी ।

12. अपवाद

इस नीति में किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय समुचित और पर्याप्त कारणों से किसी भी अपेक्षा को छोड़ सकता है या इन में से किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकता है ।

13. फार्म

फार्म एन.पी.-I, एन.पी-II तथा एन.पी. III के नमूने संलग्न हैं ।

फार्म—एन. पी.—1

अखबारी कागज के आवंटन के लिए समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के लिए आवेदन फार्म

भाग -1

1. समाचारपत्र/आवधिक का नाम तथा भाषा और आवधिकता :

2. स्वामी का नाम और पता :

3. प्रकाशक का नाम और पता :

4. प्रकाशन का स्थान/पता :

5. मुद्रण का स्थान :

(क) मुद्रणालय का नाम और पता :

6. (क) दिनांक जब से समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र नियमित रूप में प्रकाशित हो रहा है :

(ख) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या :

(ग) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के यहां नवीनतम घोषणापत्र का प्रमाणीकरण किए जाने की तारीख :

7. संबंधित संस्था का स्वरूप अर्थात् सार्वजनिक/निजी स्वामित्व आदि तथा निदेशकों/भागीदारों आदि का नाम :

8. अन्य समाचारपत्रों/आवधिकों के नाम तथा अन्य विवरण जिसके आप स्वामी है :

समाचार पत्र का नाम	भाषा तथा नियतकालिकता	प्रकाशन का स्थान	क्या सरकार द्वारा अखबारी कागज मिलता है
1	2	3	4

9. वर्ष 1990-91 के लिए अपेक्षित अखबारी कागज की मात्रा/मूल्य :

10. (क) क्रमबद्ध वितरण आवश्यकताएं :

(ख) प्राधिकृत एजेंट का नाम/पता यदि कोई हो :

11. वर्ष 1989-90 के दौरान खपत किया गया अखबारी कागज का ब्यौरा :

मैटीरियल	मात्रा मी. टनों में	किस्म (स्टैंडर्ड/ग्लेज्ड/स्वदेशी)	स्रोत	मूल्य
1	3	3	4	5
(क) अखबारी कागज (आर. एन. आई. द्वारा आवंटित)				
(ख) अखबारी कागज (आर. ई. पी. लाइसेंस में आयातित)				
(ग) अखबारी कागज (रद्द किया हुआ)				
(घ) डब्ल्यू. पी. पी.				

12. पिछला लाइसेंसिंग वर्ष जिसमें भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय से अखबारी कागज लिया गया था (आयातित तथा स्वदेशी अखबारी कागज की मात्रा का उल्लेख कीजिए) ।

13. (क) मुद्रण मशीन की किस्म

(ख) अखबारी कागज रीलों में या शीटों में चाहिए .

(ग) अपेक्षित रीलों/शीटों का आकार .

घोषणा पत्र

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं । मैं/हम यह भली भांति समझता हूं/समझते हैं कि मुझे/हमें जो भी आवंटन प्रस्तुत विवरण के आधार पर दिया जाएगा, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दिए गए विवरण गलत या असत्य हैं, वह किसी अन्य जुर्माने के अलावा, जो सरकार लगा सकती है अथवा अन्य कोई कार्यवाही, जो की जा सकती है मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर रद्द करने योग्य है ।

2. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि अगर अखबारी कागज का आवंटन किया जाता है तो यह केवल हमारे ऊपर दिए गए पते के प्रैस अहाता/संस्थान में प्रयुक्त होगा ।

3. मैं/हम यह भी अच्छी तरह समझता हूं/समझते हैं कि सारणीबद्ध की गई मद/मदों का आवंटन सारणीबद्ध एजेंसी के जरिए आयात नियंत्रण विनियम के अंतर्गत किया जाता है और जिन शर्तों पर माल की निकासी उपयोग के लिए दी जाती है एसी वस्तुओं के किसी दुरुपयोग करने के उल्लंघन पर आयात तथा नियंत्रण अधिनियम, 1947 यथा संशोधित तथा उसके अन्तर्गत निर्गम आदेशों की व्यवस्थाओं की ओर आकृष्ट होगा ।

4. मैंने/हमने आयात नियति प्रक्रिया 1990-91 की आयात नीति हस्तपुस्तिका के प्रासंगिक उपबंधों को नोट कर लिया है

स्थान :

तारीख .

प्रकाशक के हस्ताक्षर ----------

नाम स्पष्ट अक्षरों में ----------

पता .----------

भाग-2

आयकर घोषणा 1989-90

(क) उन व्यक्तियों के संबंध में जिनकी आय कर योग्य नहीं है ।

मैं/हम एतद्द्वारा सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं, कि मैं/हम किसी भी आयकर एवं अधिम कर के उत्तरदायी नहीं हूं/हैं क्योंकि मेरी/हमारी आय चालू लेखा वर्ष एवं गत चार वर्षों में उस उच्चतम सीमा से कम रही है जिस पर आयकर नहीं लगता ।

(ख) उन व्यक्तियों के संबंध में जिनकी आय आयकर योग्य है ।

(1) मैंने/हमने अपनी आज तक की आय से अपनी हमारी देय राशि का ब्यौरा/ब्यौरे आयकर विभाग को दे दिया है ।

(2) मैंने/हमने उन्हें कर मांगों को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं कर लिए गए हैं, के अतिरिक्त शेष सभी करों सहित अग्रिम कर जो हम पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत देय थे, उनका भुगतान कर दिया है ।

(3) मैं/हम आयकर/सम्पत्ति कर छिपाने के आरोप में गत तीन कलैण्डर वर्षों के दौरान दण्डित* सिद्ध/दोषी घोषित नहीं किया गया/किए गए हैं । मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त घोषणा उन कंपनियों जिनमें मेरे/हमारे प्रचुर हित** निहित है/या उन व्यक्तियों की फर्मों/एसोसिएशन जिसका मैं/हम क्रमशः भागीदार या सदस्य हूं/हैं, में भी लागू होते हैं ।

या

उपरोक्त घोषणा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है जो कि आवेदक कंपनी में या आवेदक/एसोसिएशन के सदस्यों या आवेदक फर्म के भागीदारों में प्रचुर हित** रखते हैं ।

स्थान .

तारीख .

स्वामी के हस्ताक्षर ----------

पता----------

स्थाई खाता नं. ----------

निर्धारण करने वाले आयकर अधिकारी का पद----------

निर्धारण योग्य----------

*यदि दण्ड लगाए जाने के विरुद्ध अपील दायर की गई हो और वह अपील आयकर अपील प्राधिकरण के सहायक अपील आयुक्त के समक्ष लंबित हो तो इस घोषणा के प्रयोजन के लिए ऐसे दण्ड को लिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

**"प्रचुर हित" शब्दों का अभिप्राय वही होगा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40ए (2) में दिया गया है ।

फार्म एन.पी.-2

1-4-1989 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिए प्रसार आदि संबंधी विस्तारित विवरण प्रमाण-पत्र का फार्म

1. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम :
2. प्रकाशन का स्थान
3. मुद्रण का स्थान :
4. भाषा :
5. आवधिकता (पीरियोडिसिटी)
6. आर.एन. आई. द्वारा प्रसार का निर्धारण
   (क) निर्धारण वर्ष :
   (ख) वार्षिक प्रसार :
   (ग) निर्धारित प्रसार :
   (घ) निर्धारण तारीख :

   (इस संबंध में कृपया आर.एन.आई. द्वारा जारी किए गए निर्धारित पत्र की एक प्रति संलग्न करें ।)

7. महीने के दौरान

अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च	वर्ष का	1989-90 औसत
89	89	89	89	89	89	89	89	89	90	90	90		

1. वास्तविक प्रकाशन दिवसों की संख्या :
2. प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित प्रतियों की औसत संख्या :
3. प्रति प्रकाशन दिवस बेची गई प्रतियों की औसत संख्या :
4. प्रति प्रकाशन दिवस मुफ्त वितरित (मानार्थ वाउचर, विनिमय, बोनस, नमूना एवं कार्यालय प्रतियों सहित) की गई प्रतियों की औसत संख्या :
5. बिना बिक्री वापिस की गई और अन्य मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या जो (2) और (4) में शामिल नहीं की गई ।
6. प्रकाशित समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का औसत आकार (वर्ग से.मी. में)
7. प्रति अंक पृष्ठों की औसत संख्या :
8. इति प्रकाशित दिवस प्रकाशित पृष्ठों की औसत संख्या .
9. वर्ष के दौरान अखबारी कागज की कुल खपत (टनों में)
   (क) आयातित
   (ख) स्वदेशी
10. वर्ष 1989-90 के दौरान सफेद प्रिंटिंग कागज की कुल खपत (टनों में)
11. आयात संवर्धन (आर. ई.पी. लाइसेंस) योजना के अंतर्गत हासिल की गई अखबारी कागज की खपत और 1989-90 के दौरान की गई खपत ।

प्रकाशक के हस्ताक्षर ----------

स्पष्ट अक्षरों में नाम----------

दिनांक----------

सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र

मैंने /हमने वर्ष 1989-90 के दौरान प्रकाशित समाचारपत्र ----------(पत्र का नाम, भाषा, और आवधिकता) के पुस्तकों और लेखा की जांच कर ली है और मैंने/हमने अपेक्षित सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे/हमारे विचार से वर्ष 1989-90 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रदत्त विवरण में प्रसार संख्या, पृष्ठ संख्या, आकार और प्रकाशन दिवसों की संख्या का सत्य एवं सही विश्लेषण करता है ।

तारीख----------

सनदी लेखापाल की मोहर

हस्ताक्षर ----------

----

1. उस व्यक्ति की संख्या एवं नाम जिसने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ।
2. पंजीकरण संख्या. ----------
3. पता ----------

नोट : 1 यदि वर्ष के लिए औसत प्रसार संख्या, 2,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक हों तो प्रमाणपत्र सनदी लेखापाल के शीर्ष पत्र (लैटरहैड) पर टाइप होना चाहिए और उसके द्वारा विधिवत् प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिएं तथा उनकी मोहर होनी चाहिए ।

2. सभी कॉलमों में महीनेवार संबंधित मास के दौरान निष्पादन के ब्यौरे के आधार पर दी जाएं।

3. (7) में दिए जाने वाले आंकड़े मास के दौरान प्रकाशित सभी अंकों के कुल पृष्ठों के जोड़ को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से भाग करके प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि (8) में दिए जाने वाले आंकड़ों का हिसाब इस प्रकार होगा :—

एक अंक के पृष्ठों की संख्या उसके अंक के कुल प्रकाशित प्रतियों की संख्या से गुणा करने से तत्संबंधी प्रकाशन दिवस की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या निकल आएगी। महीने के सभी प्रकाशन दिवसों के कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या को जोड़ लेना चाहिए। मासिक औसत संख्या प्राप्त करने के लिए इस कुल संख्या को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की कुल संख्या से भाग किया जाना चाहिए।

4. अधूरा आवेदन पत्र स्वीकार किया नहीं जाएगा।

फार्म एन.पी.-3

प्रथम बार आवेदन करने वाले दैनिक/नियतकालिक पत्रों को अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन फार्म।

1. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का विवरण :

   (क) समाचारपत्र/आवधिक का नाम :

   (ख) भाषा :

   (ग) आवधिकता :

   (घ) प्रकाशन का स्थान तथा पता :

   (ङ) पंजीयन संख्या :

2. नवीनतम घोषणापत्र के प्रमाणीकरण की तारीख

3. अगर प्रकाशित हो रहा हो तो प्रकाशन के आरम्भ करने की तारीख :

4. मुद्रण हेतु प्रस्तावित प्रतियों की औसत संख्या :

   (क) बिक्री की गई :

   (ख) मुफ्त वितरित की गई :

      (क) मुद्रण का स्थान :

      (ख) मुद्रणालय का नाम और पता

      (ग) मुद्रणालय के मालिक का विवरण
         नाम :
         पता :

      (घ) छपाई की क्षमता :

      (च) बनावट, माडल प्रति घंटा गति तथा मशीन की वर्तमान आयु का उल्लेख करते हुए छपाई/कम्पोजिंग मशीन का विस्तृत विवरण

6. क्या अखबारी कागज एजेंट द्वारा उठाया जाएगा :

7. यदि हां, तो एजेंट का विवरण लिखिए :

   (क) नाम :

   (ख) पता :

   (ग) क्या उनका नाम आर.एन.आई. की सूची में है :

8. अपेक्षित अखबारी कागज की मात्रा, माप तथा किस्म :

9. अखबारी कागज को किस्तों में अथवा एक ही बार में बफर स्टाक/हाई सी सेल से उठाने की अवधि :

10. स्वामी का नाम और पता :

11. प्रकाशक का नाम और पता :

घोषणा

मैं/हम इस बात की घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त विवरण मेरे/हमारे विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य और ठीक हैं।

स्थान : प्रकाशक/स्वामी के हस्ताक्षर ------------

तारीख : नाम स्पष्ट अक्षरों में------------------

पता ------------------

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th May, 1990

PUBLIC NOTICE NO. 1-PR-NP|90

File No. 601|4|90-NP.I.—In terms of para 6 of Appendix 5-Part B to the Import and Export Policy for April 1990—March 1993 the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting hereby notify the Newsprint Allocation Policy for the licensing year April 1990—March 1991 as given in the Annexure.

I. A. KHAN, Jt. Secy.

ANNEXURE

NEWSPRINT ALLOCATION POLICY 1990-91

1. Applicability

This policy is applicable to the allocation of newsprint to which the Import and Export (Control) Act, 1947, Imports (Control) Order, 1955 and Newsprint Control Order, 1962 as amended from time to time apply during the licencing year 1990-91 subject to such modifications as may be notified from time to time.

2 Definition

2.1 In this Policy a "newspaper" shall mean any printed periodical work containing public news or comments on public news as defined in the Press and Registration of Books Act 1867, as amended from time to time.

2.2 The expression "Newsprint" used in this Policy includes such paper as may be allocated by the RNI in terms of this Policy.

3. Eligibility

3.1 Newsprint shall be allocated by the Registrar of Newspapers or India on submission of a formal application, to such newspapers as are registered with the Registrar of Newsapers for India in accordance with the relevant provisions of the Press and Registration of Books Act, 1867, as amended from time to time. A newly registered newspaper shall be eligible for allocation of newsprint from the date of receipt of the application.

3.2 A newspaper shall be eligible for allocation of newsprint if it has a regularity of 90 per cent in case it is a daily newspaper and 66-2|3 per cent in case it has any other periodicity, save in such cases where the shortfall in regularity has arisen because of reasons beyond the control of the published viz., strikes, lock-outs, go-slow, power shortage or similar causes.

3.3 Allocation of newsprint may also be authorised by the Registrar of Newspapers for India for the following :

(i) Transmission of news over teleprinters by news agencies;

(ii) Trial printing by newspapers; and

(iii) Printing of college and school magazines.

3.4 The following categories of publications although these may be registered with the Registrar of Newspapers for India as newspapers shall not be eligible for allocation of newsprint under this Policy :—

(i) Journals published primarily to promote sale of goods or services;

(ii) House Journals|magazines broguht out by undertakings|firms|Industrial concerns;

(iii) Price lists, catalogues, directories and lottery news;

(iv) Racing guides; and

(v) Sex magazines.

4. Entitlement

4.1 The basic entitlement of newsprint for the licensing year 1990-91 of a newspaper|periodical will be determined on the basis of its consumption of newsprint, average annual circulation, average number of pages, average number of publishing days and average page area published during the preceding year. The entitlement of the licensing year will, however, be calculated for 365 days in case of a newspaper being published for 7 days in a week and 312 days for a newspaper being brought out for six days in a week. The quantity of writing and printing paper etc., consumed during 1989-90 will be taken into account only if it is over and above the quantity of newsprint allocated to the newspaper by the Registrar of Newspapers for India.

4.2 All the editions of a newspaper|periodical bearing the same title, having the same periodicity, published in the same language and owned by the same owner either published from the same place or from different places would be clubbed together and their category and entitlement of newsprint will be calculated on the basis of performance particulars in respect of all the editions taken together.

4.3 A newspaper|periodical whose circulation claim has been declared unestablished by the Registrar of Newspapers for India will not be eligible for newsprint unless the circulation has been re-established for the same year or for a subsequent year irrespective of any change of the status of the newspaper. In case of a newspaper|periodical whose circulation has been assessed by the Registrar of Newspapers for India to be lower than the claimed circulation in the past, the entitlement will be worked out on the basis of the circulation as assessed by the Registrar of Newspapers for India. Such a Newspaper|periodical will continue to get newsprint at the assessed circulation and will not be eligible for revision of its entitlement during the licencing or a subsequent year till the claim of circulation is accepted in full. In case a newspaper|periodical is found to have given a false statement about its performance or circulation, it shall render itself liable for being debarred from

allocation of newsprint for a specific period which may extend upto one year in the manner indicated below :

Exaggeration	Debarred for
Upto 10 per cent	Exempted
Above 10 per cent & upto 25 percent	3 months
Above 25 per cent & upto 50 per cent	6 months
Above 50 per cent & upto 75 percent	9 months
Above 75 per cent	One year

4.4 (a) Notwithstanding anything contained in para 3.1 of this Policy, a fresh applicant who commences publication for the first time or otherwise approaches the Registrar of Newspapers for India for the first time for allocation of newsprint will be allowed an initial quota of newsprint for four months as determined by the Registrar of Newspapers for India upon his satisfaction of the projection of circulation by the applicant subject to a maximum of 10,000 (ten thousand) copies per issue of 8 standard pages (2450 sq. cms) in the case of dailies and 16 standard pages in the case of periodicals. Such a newspaper as receives initial quota of newsprint should produce within a fortnight after three months of the release of Newsprint evidence of proper utilisation of newsprint in Form NP.II and if not already registered, shall in the meantime also get itself registered under the Press and Registration of Books Act, 1867, as amended from time to time Thereafter its entitlement for the first six months will be determined on the basis of actual performance and the balance quota, if any, shall be released on submission of a formal application.

4.4 (b) A newspaper which has failed to apply for newsprint during the preceding year shall be treated as a fresh applicant unless such failure has been for reasons beyond the control of the publisher. This provision will however not apply to newspapers which are treated as clubbed for allocation of newsprint.

4.4 (c) In case a newspaper, changes its periodicity, it will be treated as fresh applicant for the purpose of allocation of newsprint.

4.4 (d) A fresh applicant will be entitled to get newsprint from the date of receipt of its application in the office of the Registrar of Newspapers for India.

4.5 The circulation of a newspaper will be determined by taking into account (a) the number of copies sold, and (b) the number of copies distributed free, returned unsold or printed but neither sold nor distributed free, as per following norms :—

Circulation	Whichever is less
(Sold copies per publishing day)	
Upto 25,000 copies	5% or 1000 copies
Above 25,000 copies and upto 75,000 copies	5% or 2500 copies
Above 75,000 copies	5% or 5000 copies

4.6 In working out the basic entitlement, RNI may, as considered appropriate by him in each case and relying on the normal average consumption, ignore :

(i) Abnormal short-term fall in circulation arising from special circumstances including strikes|lock-outs or other similar reasons and

(ii) Abnormal short-term increase in circulation attendant upon the closure|disruption of working of competing newspapers or any other extraordinary circumstances.

4.7 If a newspaper had not utilised any portion of newsprint allotted to it during any previous year, the unutilised quantity will be deducted from its entitlement for 1990-91.

4.8 Extra newsprint upto the limits indicated below will be allowed to newspapers as wastage compensation :—

All newspapers	7%
Magazines with multi-colour printing requirement.	Additional 1%
Stitched magazines (for trimming)	Additional 3%

4.9 The basic annual entitlement of a newspaper for imported newsprint as also for indigenous newsprint inclusive of wastage compensation for 1990-91 will be worked out on the basis of 50 GSM. Actual release will be made after making proportionate adjustments as per the grammage of newsprint involved.

5. Procedure for Submission of Applications

5.1 Applications for allocation of newsprint should be made by the publisher of a regular newspaper or a person duly authorised by him in this behalf in From NP-I and NP-II and should be addressed to the Registrar of Newspapers for India, West Block : 8, Wing No. 2, R. K. Puram, New Delhi-110066.

5.2 Applications for allocation of newsprint by a regular newspaper which secured basic entitlement in 1989-90 should be made in Form NP-I and accompanied by—(a) Performance Particulars Certificate for the preceding year from 1-4-89 to 31-3-1990 in Form NP-II; (b) a copy of the Annual Statement for the calender year 1989 complete in all respects; and (c) specimen issues of the newspaper as required by the RNI. In the case of a newspaper whose average circulation exceeds 2000 copies per publishing day, its performance particulars certifiate should be duly signed by a Chartered Accountant.

5.3 Applications for initial quota by newspapers vide para 4.4 (a) should be made in Form NP-III.

6. Last Date

6.1 The last date of receipt of applications in the office of RNI for allocation of newsprint for the year 1990-91 is 30th June, 1990.

6.2 All applications received thereafter are liable to be rejected. However, if the applicant gives the valid reasons and the delay is not attributable to the applicant, RNI may consider the request on merits. In such cases newsprint will be given from the date of receipt of application in the RNI Office.

7. Allotment of Newsprint

7.1 Allotment of newsprint will generally be made in reels. A newspaper printed on sheet-fed machines may, however, receive its entitlement in sheets, subject to availability.

7.2 A newspaper with a basic annual entitlement of 200 MT or below will have the option to obtain indigenous or imported standard newsprint either in part or in full.

7.3 The allocation of standard newsprint for a newspaper whose entitlement is above 200 MT will be as follows :

Imported	35%
Mysore Paper Mills Ltd.	19%
Hindustan Newsprint Mills Ltd (Kerala)	19%
Nepa Ltd	17%
Tamil Nadu Newsprint and papers Ltd.	10%

The above percentages are indicative. The servicing of the imported both standard and glazed newsprint is subject to the availability of foreign exchange.

7.4 Twenty five percent of the imported newsprint should be lifted from State Trading Corporation's buffer stock. Newspapers|periodicals with annual entitlement of 50 MT or below will have the option to lift the entire quantity or part thereof from buffer stock.

7.5 Only regular periodicals which have multi-colour printing requirement may be allocated glazed newsprint and|or super calender cream wove paper subject to foreign exchange availability. Fresh applications will be considered on merits.

7.6 In the case of a fresh applicant who commences publication for the first time or otherwise approaches the RNI for the first time, will be given initial quota of newsprint for the first six months subject to the ceilings provided in para 4.4 (a) of this Policy. Of this initial quota, a maximum of 5 MT will be allocated from imported newsprint while the rest shall be released in indigenous newsprint. Further entitlement will be released only after proof is adduced that the quota released in imported and indigenous newsprint has actually been lifted and consumed by the newspaper concerned.

7.7 The allotment from different sources may be revised|varied for such reasons as the availability of newsprint maintenance of buffer stock or any other reason.

7.8 If shipment of quantity allotted on high seas sale basis is not effected within 120 days of receipt of letters of credit by State Trading Corporation, efforts will be made to allot promotionate tonnage from the buffer stock which will be later replenished.

8. Distribution

8.1 The work relating to distribution of imported newsprint will be handled entirely by the STC as authorised by the RNI in accordance with this Policy and in compliance with the provision of the Newsprint Control Order, 1962.

8.2 A newspaper which is given allotment of newsprint on high seas basis will be allowed to take delivery directly or through its duly authorised agent(s).

8.3 Authorisations for the release of newsprint will be issued by the RNI on quarterly basis on receipt of formal request along with the proof of lifting of newsprint allocated as per the previous authorisation(s). Authorisations for indigenous newsprint will be issued direct to the mills concerned. In case the annual entitlement of a newspaper is 50 MT or less, the RNI may in his discretion allocate newsprint to such newspapers on annual basis or as otherwise deemed appropriate. In the case of newspapers, other than fresh applicants, having an entitlement upon 200 MT, such allocations may be made on half-yearly basis.

8.4 A newspaper shall lift its allotment from high seas sale or buffer stock or from indigenous mills, within three months from the date of issue of authorisation(s). Wherever applicable, it shall be incumbent upon the newspaper to first lift the indigenous quantity. Allocations for the subsequent quarters will be made on the basis of the lifting of newsprint during the previous quarter(s) and imported newsprint shall be withheld proportionate to the quantity not lifted from the scheduled indigenous newsprint mills. Whatever quantity of imported newsprint remains withheld at the end of the licencing year on account of non-lifting of indigenous newsprint shall stand forfeited along with the non-lifted quantity of indigenous newsprint.

8.5 Revalidation of an authorisation will be allowed by the Registrar of Newspapers for India during the licencing year, considering each case on merits.

8.6 If a newspaper is found to have given a false certificate about the lifting of indigenous newsprint allocated to it, it may be debarred from further allocation of newsprint for a specified period which may go upto one year.

9. Unauthorised Use of Newsprint

No newspaper shall transfer to or receive from another newspaper, newsprint even though the concerned newspapers have the same ownership or have been allowed to club their entitlement. However, the RNI may, in his discretion, allow such transfer of newsprint by one newspaper to another by way of loan for a period not exceeding three months provided the transferer and the transferee give intimation to the Registrar of Newspapers for India within 30 days thereof. A newspaper indulging in such unauthorised transactions may render itself liable to action which may extend to deduction equivalent to full or part of the quantity involved from its entitlement.

10. Submission of Certificates Regarding Consumption

10.1 A newspaper which is allotted newsprint shall submit to the Registrar of Newspapers for India a Performance Particulars Certificate for 1990-91 in Form NP-II not later than 30 June 1991 duly certified by a Chartered Accountant if the circulation is over 2000 copies per publishing day.

10.2 A newspaper which suspends or ceases publication shall submit to the Registrar of Newspapers for India a Performance Particulars Certificate in

Form NP-II within a month of suspension|cessation of its publication. It shall also surrender the newsprint not utilised by it as per directions of the Registrar of Newspapers for India.

11. Growth Rate and Revision

11.1 While assessing the overall demand of newsprint for the licencing year, provision shall be made for growth of 7 per cent to take care of the requirement(s) arising from fresh applicants and increase in circulation during the licencing year.

11.2 A newspaper which secures the basic entitlement for 1990-91 can apply once during the year for upward revision of the allocation on the basis of increase in its circulation and number of pages, provided such an application is accompanied by performance certificate in Form NP-II duly certified by a Chartered Accountant (where circulation is more than 2000 copies) and covers a period of not less than 8 months as on 30th November, 1990. Such applications should reach the office of the Registrar of Newspapers for India along with sample issues of different dates by 31st December, 1990.

11.3 Additional requirements of standard newsprint arising from the revision of entitlements during the licencing year shall be serviced from the scheduled indigenous newsprint mills. In the case of glazed new print also such additional requirements shall be serviced in any kind of paper as manufactured by indigeneus mills and as required by the periodicals concerned or in imported glazed newsprint, subject to availability.

12. Exceptions

Netwithstanding anything contained in this Policy, the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting may waive any of the requirements or relax any of these provisions for good and sufficient reasons.

13. Forms

Specimen Forms NP-I, NP-II and NP-III are attached.

FORM NP-I

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT TO NEWSPAPERS/PERIODICALS 1990-91

PART - I

1. Name of the Newspaper/Periodical Language and Periodicity
2. Name and address of the owner
3. Name and address of the Publisher
4. Place of Publication with address
5. Place of printing
   (a) Name of the Printing Press with address
6. (a) Date from which newspaper/periodical is reguarly published.
   (b) Registration Number as given by Registrar of Newspapers for India
   (c) Date of authontication of the latest declaration by the District Magistrate concerned
7. Nature of concern i.e. public/private/proprietership etc. and name of Directors/Partenrs etc.
8. Name and particulars of the other news papers/periodicals owned by the owner.

Title of the paper	Language & Periodicity	Place of Publication	Whether getting newsprint through Government
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

9. Quantity/value of newsprint required for 1990-91
10. (a) Phased delivery requirement
    (b) Name and address of the agent authrised, if any.

11. Particulars of newsprint/paper consumed during 1989-90

Material	Qty. in MT	Variety (Std./Gld./Ind.	Source	Value
1	2	3	4	5
(a) Newsprint allocated by RNI				
(b) Newsprint imported against REP lisence)				
(c) Newsprint (rejected)				
(d) W.P.P.				

12. Last licensing year in which newsprint was taken from the office of RNI (Specify quantity of indigenouss and imported newsprint)

13. (a) Type of printing machine

(b) Whether newsprint required in rolls or sheets

(c) Size of rolls/sheets required

DECLARATION

I/We hereby declare that the above staements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any allotment made to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation in addition to any other penalty that the Govt. may impose or any otheraction that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statement or facts herein are incorrect or false.

2. I/We declare that the newsprint, if allotted, will be used in our press/premises/establishments at the above mentioned address.

3. I/We also fully understand that the allocation of canalised item(s) through the canalising agency is made under the import control Regulations and violations of the condition on which such goods are released to me/us and any misuse of such goods will attract the provisions of Imports and Exports (Control) Act, 1947 as amended and orders issued thereunder.

4. I/We have noted the relevant provisions contained in the Import Policy Hand Books of Import Exports Procedure 1990-93

Signature of the Publisher/Owner ——————

Place: Name in Block letters ——————

Date: Address ——————

PART - II

INCOME TAX DECLARATION—1989-90

(a) Incase of persons not having taxable income:

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any Income Tax including advance tax as the Income earned by me/us during the current accounting year and last four accounting years has been below the maximum limit not chargeble.

(b) Incase of persons having taxable income

1. I/We have furnished to the Income Tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

2. I/We have paid all taxes including advances tax due from me/us under the Income Tax Act other than the tax demand which has been stayed by the Competent Authority.

3. I/We have not been *penalised/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years. I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applied incase of companies in which I/We am/are having substantial **interest or the firm or associations of persons in which I/We am/are partners or member(s) respectively.

OR

The above declaration is applicable incase of persons having substantial interest in the applicant company or members of the applicant/association or partners of the applicant firm.

Date——— Signature of the owner———

Place——— Address ———

———

Permanent A/c No. ———

Designation of the ITO ———

With whom assessed ———

Assessable ———

* If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the appellate Assistant Commissioner of Income Tax Appellate Tribunal such penalty need not be taken for the purpose of this declaration.

** The words 'substantial interest' shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(2) of the Income Tax Act 1961.

FORM OF PERFORMANCE PARTICULAR CERTIFICATE REGARDING CIRCULATION ETC. FOR THE PERIOD FROM 1-4-1989 TO 31-3-1990

1. Name of the Newspaper/Periodical
2. Place of Publication
3. Place of printing
4. Language
5. Periodicity
6. Assessment of circulation by RNI
   (a) Year for which assessed
   (b) Claimed circulation
   (c) Assessed circulation
   (d) Date of assessment
   (Please enclose a copy of RNI's assessment letter issued in this regard)
7. During the month of

Apr. 89	May 89	June 89	July 89	Aug. 89	Sep. 89	Oct. 89	Nov. 89	Dec. 89	Jan. 90	Feb. 90	March 90	Average for the year 1989-90

(i) Actual number of publishing days
(ii) Average number of copies printed per publishing day
(iii) Average number of copies sold per publishing day
(iv) Average number of copies distributed free per publishing day (including complementary, vouchers, exchange, bonus, sample and office copies)
(v) Average number of unsold returns and other copies printed but not included in (ii) & (iv)
(vi) Average size of the newspaper/periodical publishing (in sq.cms)
(vii) Average number of pages per issue
(viii) Average number of pages printed per publishing day.
(ix) Total consumption of newsprint during the year (in tonnes)
   (a) Imported
   (b) Indigenous
(x) Total consumption of white printing paper during the year 1989-90 (in tonnes)
(xi) Consumption of newsprint obtained under the Scheme of Export Promotion (REP licences) and consumed during 1989-90.

Signature of the Publisher ——————
Name in block letters ——————
Date ——————

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT

I/we have examined the books and accounts of M/s—————— name, language and periodicity of the paper published for the year 1989-90 and have obtained all the information and explanation required by me/us. In my/our opinion the statement set forth above reflects true and correct analysis for circulation page, size and number of publishing days for the year 1989-90 to the best of my/our information and belief and according to the explanation given to me/us by the books of account etc.

Date——— Signature ——————

Stamp of the Chartered Accountant

1. Number and name of the person who has signed the certificate ——————
2. Registration No. ——————
3. Address ——————

Note:

1. If the average circulation for the year is more than 2,000 copies per publishing day, the certificate should be typed on the letter head of the Chartered Accountant and every paper should be duly countersigned by him with the stamp of the Chartered Accountant.
2. All the average has to be given monthwise on the basis of the particulars of performance during the relevant month.
3. The figures to be given against (vii) should be arrived at by adding the total number of pages of all the issues published during a month and dividing the total by the number of publishing days in that month, while the figures against (viii) should be worked out like this: The number of pages of an issue multiplied by the total number of copies printed of that issue will give the information about the total number of pages printed on the relevent publishing days. The total number of pages printed on all the publishing days in a month should be added. The monthly averages should be arrived at by dividing this total by total number of days in that month.
4. In complete application is liable to be rejected.

FORM NP III

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT TO DAILIES/PERIODICAL APPLYING FOR THE FIRST TIME

1. Particulars of the newspaper/periodical
   (a) Name of the newspaper/periodical
   (b) Language
   (c) Periodicity
   (d) Place of publication with address
   (e) Registration Number
2. Date of authentication of the latest declaration
3. Date of commencement of the publication, if already commenced
4. Average number of copies proposed to be printed
   (a) Sold
   (b) Distributed free
5. (a) Place of printing
   (b) Name & address of the Printing Press
   (c) Particular of the owner of the press
   Name
   Address
   (d) Printing capacity
   (e) Details of printng/composing machine indicating the make, model, speed per hour and present life of the machine
6. Whether newsprint is to be lifted through agent
7. If so, the particulars of the agent
   (a) Name
   (b) Address
   (c) Whether listed with RNI
8. Quantity, size and variety of newsprint required
9. The term of lifting newsprint in instalments or in one lot buffer stock/high sea sale
10. Name and address of the owner
11. Name and address of the publisher

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statement is true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Signature of the publisher/Owner———————

Name in block letters———————

Address———————

Place:

Date:

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990